निर्णय ब इजलास अपर्णा गुप्ता आई.ए.एस. अपीलीय अधिकारी (कलक्टर), कोटपूतली बहरोड़

प्रकरण संख्या 51/2026 (सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)

प्रतापसिंह एडवोकेट कोर्ट कैम्पस, बहरोड़, जिला कोटपूतली–बहरोड़

– अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली बहरोड़।

– प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005.

निर्णय                                                    दिनांक 20.05.2026

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली–बहरोड़ से सूचना के अधिकार के तहत सूचना उपलब्ध नहीं कराने से यह अपील पेश कर वांछित सूचना दिलाने का अनुरोध किया है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी सूचना का अधिकार शाखा अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली बहरोड़ को अपील मीमों की फोटो प्रति प्रेषित की जाकर बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया, अपीलार्थी अनुपस्थित रहा।
3. पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी सूचना का अधिकार शाखा अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली बहरोड द्वारा अपने पत्र क्रमांक आरटीआई/2026/385 दिनांक 13.05.2026 के द्वारा अवगत कराया कि प्रार्थी का सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन दिनांक 23.03.2026 इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। प्राप्त आवेदन के संबंध में प्रभारी अधिकारी न्याय शाखा द्वारा उनके पत्रांक न्याय/विविध/2026/2197 दिनांक 13.03.2026 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी नीमराना को आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाया गया है। कार्यालय हाजा में संधारित सूचना इस शाखा के पत्रांक 300 दिनांक 15.04.2026 के द्वारा आवेदक को उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अन्त में प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि कार्यालय लोक सूचना अधिकारी में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने के कारण अपील खारिज फरमाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी को भी जरिये नोटिस सूचित किया गया लेकिन अनुपस्थित रहा। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र के संदर्भ में अति0 जिला कलक्टर जिला कोटपूतली–बहरोड़ द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (3) के अंतर्गत प्रभारी अधिकारी न्याय शाखा द्वारा उपखण्ड अधिकारी नीमराना को प्रार्थना पत्र अंतरित किया जाकर सूचना देने हेतु निर्देशित किया गया है। चूंकि प्रकरण में राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के संबंध में कार्यवाही हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया जाने से राज्य लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।
6. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा उभय पक्ष को जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर फैसल शुमार हो।
7. निर्णय आज दिनांक 20.05.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अपर्णा गुप्ता)
आई.ए.एस.
अपीलीय अधिकारी (कलक्टर)
कोटपूतली बहरोड़

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़